

अध्याय-III

वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

3.1 मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

वोडाफोन पी एल सी जो कि इंग्लैंड की एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनी थी ने मैसर्स हच्चिसन एस्सार जो कि पूरे भारत में 16 लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्रों में जी एस एम आधारित मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रही थी के अधिकतम शेयर अधिग्रहित कर ब्राण्ड वोडाफोन के नाम से भारत में 2007 में सेवा प्रारम्भ की थी। दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (एफ डी आई) को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के 2005 में भारत सरकार के निर्णय ने इस ब्रिटिश कम्पनी की भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक मुख्य व्यवसायी के रूप में उभरने में सहायता की। 2007-08 तक प्रचालक को सात और लाइसेंस आबंटित कर दिये गये जिसने पूरे देश में मौजूद सभी 23 लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों (ला से क्षे) में प्रचालन के साथ कम्पनी ने उपस्थिति दर्ज की। वोडाफोन इण्डिया वायरलेस मोबाइल टेलीफोन सेवायें प्रदान करता है जिसमें वायस/डाटा और सभी उच्च गुणवत्ता, नवीन संचार समाधान सम्मिलित है।

3.1.1 वोडाफोन समूह द्वारा लिये गये लाइसेंस

23 सेवा क्षेत्र में सेवा के लिये लाइसेंस के अतिरिक्त वोडाफोन समूह द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता (आर् एस पी) लाइसेंस, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) और उसी तरह अन्तराष्ट्रीय लंबी दूरी (आइ एल डी) का लाइसेंस लिये गये हैं।

मुम्बई स्थित वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती वोडाफोन एस्सार लिमिटेड) के मुख्य कारपोरेट कार्यालय व इसके सात सहायक कम्पनियों के संरक्षण में परिमण्डल अनुसार सेवा प्रावधान और सम्बन्धित लेखांकन गतिविधियाँ की जाती है।

3.1.2 वोडाफोन गुप द्वारा लिये गये स्पेक्ट्रम

1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2015 को कम्पनी को आवंटित एल एस ए अनुसार स्पेक्ट्रम की मात्रा निम्नानुसार है-

तालिका 3.1

क्र. सं.	परिमण्डल का नाम	1.4.2010 तक रखे गये जी एस एम स्पेक्ट्रम (मेगाहर्टज में)	31.3.2015 तक रखे गये जी एस एम स्पेक्ट्रम (मेगाहर्टज में)	माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम	माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम
				(मेगाहर्टज में) ¹	
1	हिमाचल प्रदेश	4.4	5.65	112	56
2	आन्ध्र प्रदेश	6.2	6.8	224	56
3	असम	4.4	6.9	112	56
4	नार्थ ईस्ट	4.4	6.9	112	56
5	उड़ीसा	4.4	6.9	112	56

¹ एक कैरियर = 56 मेगाहर्टज

6	बिहार	4.4	6.9	112	56
7	जम्मू एवं कश्मीर	4.4	6.9	112	56
8	मध्य प्रदेश	4.4	6.9	112	56
9	राजस्थान	6.2	7	180	56
10	पंजाब	6.2	8.05	224	-
11	उत्तर प्रदेश पश्चिम	6.2	8.7	112	56
12	हरियाणा	5	9.9	180	56
13	तमिलनाडु	7.2	12.2	180	112
14	महाराष्ट्र	6.2	12.45	180	112
15	चेन्नई ²	8	13	224	-
16	कर्नाटक	8	13	224	56
17	पश्चिम बंगाल	6.2	13.7	112	112
18	केरल	6.2	14.45	112	112
19	दिल्ली	5	18	392	-
20	उत्तर प्रदेश पूर्व	8.2	18.45	180	112
21	गुजरात	9.8	19.2	224	56
22	मुम्बई	5	24.2	392	-
23	कोलकता	9.8	29.8	224	-

3.1.3 वोडाफोन ग्रुप द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती, समेकित सकल राजस्व और भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं के आकलन पर आधारित प्रत्येक तिमाही को अपनी ए जी आर का निश्चित प्रतिशत लाईसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के रूप में देना आवश्यक है। वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वी आई एल) द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पाँच वर्षों के लिये दर्शाया गया संयुक्त जी आर/ए जी आर और भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर में ए जी आर की प्रतिशतता	भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ +एस यू सी)
2010-11	13.46	29971.54	8912.82	21058.72	70.26	3038.81
2011-12	15.04	36290.66	11336.42	24954.24	68.76	3262.96
2012-13	15.23	40367.11	12900.90	27466.21	68.04	3659.70
2013-14	16.67	45565.90	14083.80	31482.10	69.09	4394.70
2014-15	18.39	46650.36	13709.27	32941.09	70.61	5091.90
कुल		198845.57	60943.21	137902.36	---	19448.07

जैसा कि उपरोक्त से प्रगट है, मार्च 2011 को वोडाफोन का ग्राहक आधार 13.46 करोड़ था, जो 18.95 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ 36.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, मार्च 2015 तक बढ़कर 18.38 करोड़ हो गयी तथा भारती एयरटेल लिमिटेड से पीछे रहते हुए दूसरा स्थान बनाया।

² चेन्नई एवं तमिलनाडु एल एस ए के विलय के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया 31 मार्च 2015 को प्रगति में थी।

3.2 वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा राजस्व कम दिखाया जाना

वी आई एल और इसकी सहायक कम्पनियों के अभिलेखों और लेखाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निम्नलिखित मामलों में इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबंधों के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

3.2.1 राजस्व से सम्बन्धित डीलर को पेश की गई छूट/मार्जिन और उपभोक्ताओं को दी गई फ्री एयर टाइम के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व को कम दर्शाया जाना

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का वी आई एल और इसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया कि –

- वितरकों/एजेन्टों को दी गई रियायतों/मार्जिन को राजस्व से समायोजित किया गया था।
- उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश जैसे कि फ्री एयर टाइम, (एफ ए टी) फ्री आफ कास्ट (एफ ओ सी) टाक टाइम और प्रोत्साहन पेशकश जैसे कि फुल टाक टाइम (एफ टी टी), फुल पे फुल (एफ पी एफ), टाक टाइम, बोनस टाक टाइम व अन्य प्रभारों को राजस्व से समायोजित (सेट ऑफ) किया था।
- क्योंकि प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के लिये अलग से जी एल नहीं रखे गये, इसलिये राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी के कम दर्शाये जाने के प्रभाव को सेवा अनुसार अलग नहीं किया गया।

मदवार व्यौरा निम्नसार है:

अ) रियायत/मार्जिन

लाइसेंसी कम्पनी दूरसंचार सेवाओं को बेचने के लिये कमीशन आधार पर वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों की नियुक्ति करता है। कम्पनी, कमीशन के बदले रियायती दर पर या अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट के तौर पर अपने वितरकों/फ्रैन्चाइजी/एजेन्टों द्वारा अपने विभिन्न प्री पेड उत्पादों की आपूर्ति अपने उपभोक्ताओं को बेचने के लिये करती है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये वी आई एल और इसकी सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि प्रीपेड उत्पादों जैसे कि रिचार्ज कूपन, ई-टापअप इत्यादि की आपूर्ति वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को रियायती दरों पर या अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर मार्जिन के आधार पर की जो कमीशन के बदले में थी। वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को दिये जा रहे छूट/मार्जिन को राजस्व से घटा दिया गया और इसके परिणामरूप, वित्तीय विवरणियों साथ ही साथ दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणी में नेट राजस्व पर विचार किया गया था।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये वितरकों/फ्रैन्चाइजी/एजेन्टों/डीलरों को दिये गये ₹ 4196.21 करोड़ के रियायतों/मार्जिन को राजस्व से घटाया गया जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की। क्योंकि वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को दी गई रियायतें/मार्जिन, व्यापारिक व्यय (मार्किटिंग व्यय) की प्रकृति की थी, इसलिये इस प्रकार के व्यय को राजस्व से समायोजित (सेट ऑफ) किया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

उपरोक्त पर वोडाफोन प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि:

- वितरकों/डीलरों/फ्रेन्चाईजी को नियुक्त करने की कम्पनी नीति संगठन की व्यापारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वितरकों के साथ यह व्यवस्था प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार पर है। रियायतें प्राथमिक बिलिंग के समय दी जाती हैं। रियायत को प्रीपेड बिलिंग सिस्टम में समाकृति (कान्फिगर्ड) किया जाता है और रियायत का लेखांकन इसी बिलिंग सिस्टम के इन्टरफेस के द्वारा किया जाता है।
- कम्पनी के अंतः प्रवाह केवल वितरकों द्वारा भुगतान की गई राशि है अर्थात् वितरकों का मूल्य न कि अधिकतम खुदरा मूल्य।
- बिक्री, इनवायस पर लिखे सहमत मूल्य पर होती है और उसे लाभ और हानि लेखों में दर्शाया जाता है। न तो रियायत को व्यय के रूप में दर्शाया जाता था और न ही कोई व्यय राजस्व से अलग (नेटिंग आफ) किया गया था क्योंकि वितरकों की बिलिंग सहमत/वर्णित मूल्य पर होती थी।
- कम्पनी ने टीडी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन निवेदन के साथ अपील दायर की है। डी ओ टी ने टीडी सैट के उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये क्रॉस अपील दायर की है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले का अन्तिम निर्णय आने तक वी आई एल, ए जी आर की गणना में रियायतों को शामिल न करने के विधिक सलाह के अधीन है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि—

- वी आई एल अंततः सेवायें प्रदान करती है और यदि कम्पनी उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कार्ड की बिक्री करती तो राजस्व, दी गई सेवाओं के पूरे मूल्य पर लेखांकित की जाती और बिक्री पर हुए व्यय को व्यय के रूप में लेखित किया जाता। इसी समानता के अनुसार वितरकों को दी गई रियायत/कमीशन, मार्केटिंग व्यय होगा और इसलिये इसे राजस्व से नहीं घटाना चाहिये। ऐसा लाइसेंस समझौते के अनुरूप है। आगे लेखापरीक्षा का मत है कि इस प्रकार का लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं को सेवायें प्रदान करने की अन्तिम जिम्मेदारी वी आई एल की है न की वितरकों की।
- जब तक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रेन्चाईजी/डीलरों को दी गई रियायत/मार्जिन, मार्केटिंग प्रकृति का व्यय है और इसलिये इस व्यय को राजस्व से समायोजित किया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध है। लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु लाइसेंस समझौते के तहत राजस्व को सकल रूप में बिना किसी सम्बद्ध मद को घटाये, दर्शाया जाना है।

इस प्रकार रियायतों/मार्जिन को घटाने से जी आर/एजी आर ₹ 4196.21 करोड़ कम दर्शाया गया (अनुलग्नक 3.01)। परिणामस्वरूप, उपरोक्त राजस्व पर कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 351.77 और ₹ 213.52 करोड़ भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.01)।

ब) उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रस्ताव

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आई एल और इसकी सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपभोक्ताओं को दी गई प्रोत्साहन पेशकश को समायोजित करने के लिए कुछ राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत खर्चों के मद यथा, मुफ्त एअर टाईम (एफ ए टी), फ्री आफ कास्ट एअर टाईम, फुल टाक टाईम फुल पे फुल टाक टाईम, बोनस टाक टाईम इत्यादि का डेबिट पाया गया था। उपरोक्त प्रोत्साहन पेशकशों का मूल्य अग्रिम में प्राप्त सेवा राजस्व में डेबिट कर दिया गया और इस प्रकार जी आर/ए जी आर की गणना में शामिल नहीं किया गया।

चूँकि, इस प्रकार की प्रोत्साहन पेशकश कुल मिलाकर व्यापार वृद्धि के लिये अपनायी गयी व्यापारिक/वाणिज्यिक रणनीति का हिस्सा है, इसलिये इस तरह के प्रोत्साहन पेशकश (आफर) का मूल्य व्यय की प्रकृति का था। आगे, लाइसेंस समझौतों की शर्तों के अनुसार सेवा राजस्व को, बिना किसी मद को समायोजित किए, सकल रूप में दर्शाना चाहिये। वोडाफोन द्वारा पुष्टि की गई मदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 3.3

(₹ करोड़ में)

प्रोत्साहन पेशकश की प्रकृति	कम रिपोर्ट की गयी जी आर	टिप्पणी
फ्री ऐयरटाइम (एफ ए टी)/फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) ऐयरटाइम	728.23	अनुलग्नक-3.02
फुल टॉक टाइम (एफ टी टी)/ फुल पे फुल (एफ पी एफ) टॉक टाइम	560.22	अनुलग्नक -3.03
प्रमोशनल टॉक टाइम (पी टी टी)	127.15	अनुलग्नक -3.04
बोनस टॉक टाइम	5.33	अनुलग्नक -3.05
कुल	1420.94	

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2016) कि;

- विभिन्न मार्केटिंग स्कीमों के अनुसार कम्पनी चुनिंदा प्रीपेड उपभोक्ताओं को फुल टाक टाईम की पेशकश देती है। इन स्कीमों के बारे में सामान्यतः ट्राई को सूचना दी जाती है। सभी दूरसंचार कम्पनियाँ इस प्रकार की स्कीम की पेशकश करती हैं। सामान्यतः, यदि उपभोक्ता ₹ 112.36 का रिचार्ज खरीदता है तो उस पर कम्पनी का राजस्व ₹ 100 लिया जाता है और वसूल की गयी सरकार को देय सेवाकर का ₹ 12.36 सेवाकर दायित्व लेखा में क्रेडिट कर दिया गया।
- इसी प्रकार फुल टाक टाईम आफर के संदर्भ में, यदि एक उपभोक्ता ₹ 224.72 का रिचार्ज खरीदता है और उसे ₹ 224.72 का फुल टाक टाईम मिलता है, परन्तु राजस्व केवल ₹ 200 का दर्शाया जाता है और वसूल की गयी सरकार को देय सेवाकर का ₹ 24.72, सेवाकर दायित्व खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

- कम्पनी द्वारा सरकार को जमा कराये गये सेवाकर को समझौते के खण्ड 19.1 के अर्न्तगत ए जी आर की परिभाषा से अलग रखा गया है। शेष बची राशि वह राशि है जो कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवा के बदले में प्राप्त हुई और उस राशि को ही राजस्व में शामिल किया गया है।
- कम्पनी को इस राशि के अलावा कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं होती और खण्ड 19.1 के उल्लंघन में राजस्व से कोई कटौती नहीं की जा रही है। यह व्यवहार ए एस 9 के अनुरूप है।
- प्राप्त राशि पर पेश किया गया टाक टाइम सम्बन्धित नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि को ही लेखों में लिया जाता है और "राजस्व" में सम्मिलित किया जाता है और कोई अतिरिक्त राजस्व कम्पनी को देय/द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखा परीक्षा मत निम्नानुसार है:

- लेखापरीक्षा ए एस-9 के अनुसार लेखांकन पर सवाल नहीं उठा रहा है परन्तु यह तर्क देता है कि एअर टाइम मुफ्त की वस्तु नहीं है, इसका आन्तरिक मूल्य है और एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी छूट इत्यादि देकर, लाइसेंसों इन्हें व्यय के रूप में लेखाओं में लेने के बजाय राजस्व को छोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का भुगतान टाला गया।
- टैरिफ के अनुसार दिये गये एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि तथा जो ग्राहकों/एजेन्टों को प्रोस्ताहन के रूप में दिया गया, का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी/पी टी टी/बोनस टाक टाइम को घटाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1420.94 करोड़ का जी आर/ए जी आर कम दर्शाया गया (अनुलग्नक 3.02 से 3.05)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा उपरोक्त राजस्व पर ₹ 116.66 करोड़ और ₹ 70.95 करोड़ का क्रमशः एल एफ और एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.02 से 3.05)।

3.2.2 अन्य ऑपरेटरों को दिये गये/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटरों ट्रैफिक रियायत को घटाने के कारण रोमिंग राजस्व कम दिखाना

वोडाफोन और इसकी सहयोगियों ने रोमिंग के दौरान सेवाएं जारी रखने के लिये अन्य अर्न्तराष्ट्रीय दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ व्यवस्था की है। यह देखा गया कि उन ऑपरेटरों के खातों में भुगतान किये गये/क्रेडिट किये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) रियायतों को राजस्व शीर्ष से घटाया/डेबिट किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय ऑपरेटरों के रोमिंग की व्यवस्था दो ऑपरेटरों के बीच आपसी सहमति का विषय है और रोमिंग पर सहमत प्रभागों से अधिक रियायत देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यापार वृद्धि की रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार, इस प्रकार की रियायतें व्यय के रूप में है और लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 294.53 करोड़ की आई ओ टी रियायतों को, जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की, रोमिंग राजस्व से घटाया (डेबिट) गया था।

उपरोक्त पर वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में बताया कि;

- छूट जो कि क्रेडिट नोट से दी गई है, आय/राजस्व की प्रकृति की नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप किसी रोकड़, प्राप्ति योग्य या अन्य लाभ का अन्तः प्रवाह नहीं हुआ और न ही रियायतों को व्यय माना जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ए एस-9 स्वयं सकल राजस्व की परिभाषा से रियायतों को अलग करता है और इसलिये अनुच्छेद 19-1 के अर्न्तगत रियायतों को राजस्व में सम्मिलित नहीं किया जाना है।
- टी डी सेट ने ए जी आर केस में यह निर्धारित किया कि राजस्व में रियायतों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, इसके विरुद्ध कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन निवेदन के साथ अपील दायर की थी। डी ओ टी ने भी उपरोक्त टी डी सेट के निर्णय के विरुद्ध क्रॉस अपील दायर की है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।
- उपरोक्त पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी के कारण, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज और लाभांश की आय को शामिल न करने के विधिक परामर्श के अधीन है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का मत निम्नानुसार है:

- रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों पर अलग और उपर से रियायत देना दो ऑपरेटरों के मध्य व्यापार वृद्धि के लिये व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है, इस प्रकार ऐसी रियायतें व्यय की प्रकृति का है। क्योंकि लाइसेन्स अनुबंध समायोजन की अनुमति नहीं देता इसलिये ऐसे खर्च को नहीं घटा सकते इसलिए इसे जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।
- जब कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस फीस के उद्देश्य से, राजस्व को किसी सम्बन्धित मद से समायोजित किये बिना, सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिये जैसा कि लाइसेंस समझौते में आदेशित है।

इस प्रकार आई ओ टी रियायतों को समायोजित किये जाने के परिणामस्वरूप, जी आर/ए जी आर ₹ 294.53 करोड़ कम बताया गया (अनुलग्नक 3.06)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 24.92 करोड़ और ₹ 15 करोड़ भुगतान नहीं हुआ किया गया (अनुलग्नक 3.06)।

3.2.3 अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त इनफ्रॉस्ट्रक्चर (संरचना) साझेदारी के राजस्व को कम बताया जाना

वी आइ एल और उसके सहयोगियों के स्वामित्व वाली दूरसंचार आधारभूत संरचना (टावर, नेटवर्क उपकरण इत्यादि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ शेयर की जा रही थी। वी आइ एल और इसकी सहयोगियों ने अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ संरचना साझेदारी हेतु अनुबंध किये हैं।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये वी आइ एल और इसके सहायक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत संरचना साझेदारी प्रभारों से सम्बन्धित डाटा/अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि वसूले जाने योग्य/वसूले गये संरचना साझेदारी प्रभार जैसे कि किराया, तेल (डीजल), बिजली, परिचालन और रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि को व्यय शीर्षों से घटाया गया, अतः राजस्व में शामिल नहीं किया गया। जैसा कि वोडाफोन ने पुष्टि की खर्च से घटायी गयी कुल राशि ₹ 381.91 करोड़ थी। राजस्व शेयर के लिये इस राशि को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि;

- कम्पनी ने अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ आधारभूत संरचना सुविधाओं को शेयर करने के लिये व्यवस्थायें की हैं और इन सुविधाओं के चलाने और रखरखाव में हुए परिचालन व्यय को समानुपात में वहन किया जाता है। परिचालन व्यय के रूप में किये गये वास्तविक व्यय की गणना के बाद, कम्पनी स्वयं और वोडाफोन की सुविधाओं को साझा करने वाली अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच वास्तविक लागत को आपस में बाँट लेती है। यहाँ यह ध्यान देने के लिये प्रासंगिक है कि दूरसंचार प्रचालक, जो कम्पनी के साथ सुविधाओं को शेयर करती है, वह साइटों को चलाने के लिए वास्तविक परिचालन व्यय का समझौते के अनुसार अपना अंश वोडाफोन को भुगतान करती है। कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि साइटों को चलाने के लिये किये गये वास्तविक लागत का एक निश्चित समानुपात है और इसमें कम्पनी का कोई मार्जिन सम्मिलित नहीं था।
- संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर थी और इस प्रकार दूसरे दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए किये गये संचालन के मद में प्राप्त राशि को अवसंरचना सुविधाओं के साझा का राजस्व नहीं माना जा सकता क्योंकि प्राप्त राशि और कुछ नहीं केवल ऐसे दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए किये गये खर्च का भुगतान भर है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि दूसरे दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त राशि उनके लिए किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति है, उसे कम्पनी द्वारा किये गये खर्च में से घटाया गया।
- अन्य ऑपरेटरों द्वारा केपेक्स के मद में किये गये भुगतान को सकल राजस्व में शामिल किया गया है और उस पर लाइसेंस फीस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
- माननीय टीडीसेट का निर्णय है कि प्रतिपूर्तियों को राजस्व में शामिल नहीं किया जाना है और हमारे तथ्यों में प्रतिपूर्तियाँ स्वयं इनवायस से स्पष्ट है। इसलिये अनुच्छेद 19.1 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ राजस्व में शामिल नहीं की जा सकती।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जी आर में अनुमत आधारभूत संरचना साझेदारी का राजस्व, सम्बन्धित व्यय मद से समायोजित किये बिना शामिल है और लाइसेंस विशिष्ट रूप से केपेक्स और ओपेक्स के बीच आधारभूत संरचना साझेदारी राजस्व का भेद नहीं करता। इस प्रकार, आधारभूत संरचना साझेदारी की राजस्व का व्यय से समायोजन की अनुमति नहीं है। डीजल खर्च, सुरक्षा खर्च, मरम्मत और रखरखाव खर्च, बिजली प्रभार से सम्बन्धित राजस्व, प्रतिपूर्ति नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि इन पर व्यय किया ही जाना था चाहे टावरों को साझा किया जाये अथवा नहीं। वास्तव में व्यय को साझा करके, कम्पनी को अतिरिक्त आय का फायदा हुआ है।
- डी ओ टी ने टीडी सेट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है जैसा कि उत्तर में संदर्भित है। जब कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि क्योंकि यू ए एस एल, अनुच्छेद 19.2 के अन्तर्गत अनुमत मदों के अलावा किसी अन्य कटौतियों की अनुमति नहीं देता है, इसलिये आधारभूत संरचना साझेदारी राजस्व में से ओपेक्स कटौती, यू ए एस एल समझौते के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान आधारभूत संरचना साइट साझेदारी राजस्व (किराया, डीजल, बिजली, परिचालन व रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि) को घटाने के फलस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 381.91 करोड़ कम दिखाया गया (अनुलग्नक 3.07)। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा इस राजस्व पर एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 27.75 करोड़ और ₹ 16.12 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक 3.07)।

3.2.4 फोरेक्स लाभ पर विचार नहीं करना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आइ एल और इसकी सहायक कम्पनियों के द्वारा प्रदान किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में विनिमय दर परिवर्तन पर वैयक्तिक लेन-देन पर आधारित प्राप्त किया गया लाभ ₹ 169.07 करोड़ था। यह राशि राजस्व शेयर के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई, जिसकी पुष्टि वोडाफोन ने की।

आगे किसी मद के लाभ/हानि की अप्राप्ति के अन्तर्गत माध्यमिक अवधि में लेखाकंन के कारण किसी विशेष मद में उस वर्ष प्राप्त किया गया लाभ वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्ति के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। संचालको को, लेखांकित किये गये मूल मूल्य के सन्दर्भ में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए और जी आर/ए जी आर में कुल फारेक्स लाभ को शामिल करना चाहिए।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि;

- विदेशी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव से प्राप्त राशि काल्पनिक प्रकृति की है एवं राजस्व नहीं है। लेखामानकों के अनुसार अपेक्षित है कि विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से हुए काल्पनिक लाभ या हानि वर्ष के अन्त में लेखांकित किये जाये ताकि बैलेंस शीट की दिनांक पर कम्पनी का लाभ/हानि उचित रूप से दर्शाया जा सके। यह भी दोहराया गया कि लागत अथवा क्रय मदों जैसे कि कन्सलटैन्सी (परामर्श एजेन्सी) पर परिचालन व्यय, उपकरण की खरीद अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये कर्ज के सम्बन्ध में, विदेशी मुद्रा के कारण बदलाव, राजस्व का हिस्सा नहीं है, इस प्रकार परिवर्तन का अन्तिम परिणाम लागत या क्रय मूल्य की वृद्धि अथवा ह्रास में परिणामित होती है और राजस्व से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।
- टीडी सैट ने निर्णय दिया है (अप्रैल 2015) कि फोरेक्स लाभ को ए जी आर में शामिल नहीं करना था। डी ओ टी ने टीडी सैट के इस निर्णय के विरुद्ध चुनौती देते हुये क्रास अपील दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
- इस विषय में लम्बे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक वोडाफोन, ब्याज और लाभांश से प्राप्त राशि को ए जी आर गणना में शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं था। इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.5 में फारेक्स लाभ के वर्णन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या की गयी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2015 के टीडी सैट के निर्णय के विरुद्ध डी ओ टी ने अपील की है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तर्गत निर्णयाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ, राजस्व साझा के लिए गणना की गयी

जी आर का एक भाग होना चाहिए क्योंकि यह यू ए एस एल करार में दिये गये जी आर की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत आती है।

जी आर/ए जी आर की गणना के लिए फोरेक्स लाभ की ₹ 169.07 करोड़ को शामिल न करने के परिणाम स्वरूप कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 13.55 करोड़ और ₹ 6.58 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 3.08)।

3.2.5 ब्याज आय को राजस्व साझेदारी हेतु शामिल नहीं किया जाना

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये वी आइ एल और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि ₹ 5971.24 करोड़ की ब्याज आय को ए जी आर की गणना में शामिल नहीं किया गया था।

आकड़ों और तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने उत्तर (नवम्बर 2016) दिया कि;

- “समायोजित सकल राजस्व”- (ए जी आर) एक सेवाक्षेत्र में लाइसेंस दूरसंचार परिचालन से सीधे उत्पन्न राजस्व से सम्बन्धित है। लाइसेंस प्रदाता/डी ओ टी ऐसी किसी गतिविधि से उत्पन्न आय का साझा किये जाने का दावा नहीं कर सकती है जो उसके द्वारा दिये गये लाइसेंस के साथ सम्बन्धित नहीं है और न ही उसके अन्तर्गत है और ऐसी गैर-दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित है जिसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।
- वोडाफोन और डी ओ टी द्वारा विभिन्न कानूनी फोरम पर क्रमशः किये गये दावे और काउन्टर दावों के सम्बन्ध में, टीडी सैट ने अपने निर्णय (अप्रैल 2015) में ए जी आर की गणना के लिये ब्याज आय और लाभांश को शामिल करने को कहा है जिसे वोडाफोन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है (सितम्बर 2015)।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज आय और लाभांश शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं था। राजस्व साझा के लिए ब्याज की आय का वर्णन करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.6 में की गयी है।

ब्याज आय शामिल न करने से जी आर/ए जी आर ₹ 5971.24 करोड़ कम दर्शायी गई। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 525.48 करोड़ और ₹ 307.67 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.09)।

3.2.6 लाभांश आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सकल राजस्व में, सम्बन्धित खर्चों इत्यादि की मदों को घटाये बिना सभी सेवा राजस्व, विविध राजस्व एवं लाभांश सम्मिलित करते हुए अन्य आय को, शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभांश आय की ₹ 2265.56 करोड़ की राशि तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि में जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं की गई।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- कम्पनी का मत था कि “समायोजित सकल राजस्व”- (ए जी आर) केवल सेवा क्षेत्र में लाइसेंस युक्त दूरसंचार परिचालनों से उत्पन्न राजस्व से ही सम्बन्धित है। लाइसेंस प्रदाता/डी ओ टी, ऐसी गतिविधियों से उत्पन्न आय के साझा का दावा नहीं कर सकता जिसका प्रदान किये गये लाइसेंस से न कोई सम्बन्ध है और न ही उसके अन्तर्गत आते हैं और यह गैर दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित है जिसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।
- वोडाफोन और डी ओ टी द्वारा विभिन्न कानूनी फोरम पर क्रमशः विभिन्न अन्तराल में किये गये कानूनी दावे और काऊंटर दावों के सम्बन्ध में, टीडी सैट ने अपने निर्णय (अप्रैल 2015) में चाहा कि ए जी आर की गणना के लिये ब्याज आय और लाभांश शामिल हों, जिसे वोडाफोन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है (सितम्बर 2015)।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में ब्याज आय और लाभांश को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

प्रबंधन का तर्क मान्य नहीं था। राजस्व साझा के लिए लाभांश आय का वर्णन करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के मत की व्याख्या इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.2.8 में की गयी है।

लाभांश आय को शामिल न करने से जी आर/ए जी आर, ₹ 2265.56 करोड़ की राशि से कम दर्शायी गई। परिणामस्वरूप, एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 186.31 करोड़ और ₹ 120.65 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.10)।

3.2.7 राजस्व साझेदारी के लिये स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुए लाभ को शामिल न किया जाना

लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित खर्चों इत्यादि को घटाये बिना, ब्याज के मद का राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल होंगे। वोडाफोन और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा प्रदान किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि स्थायी परिसम्पत्तियों से हुए ₹ 649.60 करोड़ के लाभ को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए शामिल नहीं किया गया।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- वित्तीय विवरणियों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि के शुद्ध (नेट) राशि को वर्ष के दौरान एक शुद्ध (नेट) मद के रूप में दर्शाया जाता है।
- इस प्रकार पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ, पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति का है। पूंजी लाभ एक कृत्रिम आय है।
- “सकल राजस्व” की परिभाषा में केवल राजस्व प्राप्तियाँ ही शामिल होगी न कि पूंजी प्राप्तियाँ और ए एस-9 के पैरा 3(i) में पूंजी लाभ को विशेष रूप से राजस्व की परिधि से बाहर रखा गया है।

- यह भी कहा गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कम्पनी के दृष्टिकोण को सही ठहराया है जिसे डी ओ टी ने दाखिल की गई अपील (सितम्बर 2015) के द्वारा चुनौती दी है और वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में परिसम्पत्ति की बिक्री से लाभ को ए जी आर की गणना में शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

वोडाफोन प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस अनुबंध में राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में विविध राजस्व/आय को शामिल करने का स्पष्ट प्रावधान है और परिसम्पत्ति/कबाड़ की बिक्री से लाभ विविध राजस्व/आय है। और केवल राजस्व प्राप्तियाँ ही नहीं बल्कि पूंजी से प्राप्तियाँ भी राजस्व साझेदारी की गणना योग्य है जैसे कि ब्याज और लाभांश। इसलिये पूंजी लाभ भी राजस्व साझेदारी की गणना के लिये लिया जाता है।
- टीडी सैट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के संदर्भ में, डी ओ टी द्वारा फैसले के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।

मामला जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्व साझेदारी की गणना हेतु परिसम्पत्तियों/कबाड़ से बिक्री लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये। इस प्रकार, परिसम्पत्तियों/कबाड़ से बिक्री लाभ को शामिल न करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 649.60 करोड़ कम दर्शायी गई। फलस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 53.55 करोड़ और ₹ 29.76 करोड़ भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.11)।

3.2.8 राजस्व साझेदारी हेतु विविध आय को शामिल न किया जाना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व में सम्बन्धित खर्चों इत्यादि को घटाये बिना, ब्याज के मद का राजस्व, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व शामिल होंगे। ए जी आर विवरणियों में यह पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 में विविध आय की ₹ 13.72 करोड़ की राशि को ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए, प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि;

- लाइसेंस अनुबंध के अर्न्तगत, विविध आय को ए जी आर में जोड़ना आवश्यक नहीं है।
- टीडी सैट ने ए जी आर मामले में कम्पनी का तर्क माना था। आगे, कबाड़ बिक्री, बीमा दावों इत्यादि से प्राप्तियों, जो उपभोक्ता से अथवा दूरसंचार प्रावधानों से संग्रहित नहीं की गई, को ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।
- विविध आय का एल एफ से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह पूँजी प्राप्ति है और इसे सामान्य व्यापार के संचालन में राजस्व नहीं माना जा सकता।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर 2015 को अपील स्वीकार कर ली जिसमें यह कहा गया था कि डी ओ टी किसी माँग को लागू करवाने के लिये कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेगा।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए, वोडाफोन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक ए जी आर की गणना में विविध आय को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है।

वोडाफोन प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस करार प्राविधानित करता है कि राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर में विविध राजस्व को शामिल किया जाना चाहिये।
- उत्तर में संदर्भित अप्रैल 2015 के टीडी सैट के निर्णय को डी ओ टी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

मामला जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार विविध आय को राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये। विविध आय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 13.72 करोड़ कम दर्शायी गई तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.14 करोड़ और ₹ 0.73 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ (अनुलग्नक-3.12)।

3.2.9 ए जी आर की गणना के लिये जी आर से बटटे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती का दावा

जी आर/ए जी आर की परिभाषा बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों के मद में व्यय की कटौती की अनुमति नहीं देता।

वोडाफोन द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिये प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ए जी आर की गणना के लिये बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण की ₹ 507.25 करोड़ की राशि को जी आर से घटा दिया गया था।

तथ्यों और आँकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि:

- लाइसेंस अनुबंध के तहत, अशोध्य ऋण को ए जी आर में शामिल करना आवश्यक नहीं है। लाइसेंस अनुबंध के साथ संलग्न अनुलग्नक-III में विशिष्ट रूप से प्रपत्र दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत विविध शीर्षों (जैसे कि वसूला गया अशोध्य ऋण इत्यादि) के अन्तर्गत “गत वर्षों की वापसियों का ब्यौरा” डेबिट, यदि कोई है तो मद अनुसार दर्शाया जायेगा। वसूले गये अशोध्य ऋणों को राजस्व मानने का प्रश्न उस स्थिति में पैदा होता जहाँ पिछली अवधि में अशोध्य ऋण को राजस्व से कटौती के लिये अनुमत किया गया था। कम्पनी ने वसूले गये अशोध्य ऋणों को ए जी आर में शामिल किया है। अशोध्य ऋण को पुनः शामिल करना, जैसे कि प्रस्तावित है दोबारा प्रभार लगाना होगा जिसकी अनुमति नहीं है। यह भी वर्णन योग्य है कि अशोध्य ऋण वह आय है जो प्राप्त नहीं हुई है तथा इसलिये इसे राजस्व नहीं माना जा सकता और यह राशि काल्पनिक प्रकृति की है।

- जब कि माननीय टीडी सैट ने ए जी आर मामले में यह निर्णय दिया है कि अशोध्य ऋणों को राजस्व में शामिल किया जाना है, कम्पनी ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन के निवेदन के साथ अपील दायर की है। डी ओ टी ने भी टीडी सैट के उक्त निर्णय के विरुद्ध क्रॉस अपील दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को 30 सितम्बर 2015 में स्वीकार कर लिया गया, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि डी ओ टी किसी माँग को लागू करने के लिये कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं करेगा।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय से लम्बित मुकदमेबाजी, भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा दिया गया बयान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामले को देखते हुए, कम्पनी बटटे खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों को ए जी आर की गणना में शामिल नहीं करने की कानूनी सलाह के अधीन है। यहाँ यह भी वर्णन करना आवश्यक है कि इस विषय पर अन्तिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि;

- लाइसेंस अनुबंध ए जी आर गणना के लिये अशोध्य ऋण को जी आर से घटाने की अनुमति नहीं देता है।
- कम्पनी ने टीडी सैट के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि बटटे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण एक व्यय था और इसलिए कम्पनी के सकल राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

इस प्रकार, ए जी आर की गणना के लिये अशोध्य ऋणों को जी आर से घटाने के परिणामस्वरूप ए जी आर को ₹ 507.25 करोड़ कम दिखाया गया तथा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 44.48 करोड़ और ₹ 26.56 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया (अनुलग्नक-3.13) ।

3.2.10 वोडाफोन लाइसेन्सी कम्पनियों द्वारा इसकी सहायक कम्पनियों को पैसिव संरचना परिसम्पतियों का हस्तांतरण शून्य मूल्य पर किया जाना

वोडाफोन इण्डिया ग्रुप के अन्तर्गत आठ दूरसंचार लाइसेन्सी कम्पनियाँ हैं, नामतः:

- i) वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वी आइ एल) {पहले वोडाफोन एस्सार लिमिटेड} (वी इ एल)
- ii) वोडाफोन मोबाइल सर्विसेस लि0 (वी एम एस एल) {पहले वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेस लि0} (वी ई एम एस एल)
- iii) वोडाफोन ईस्ट लि0 (वी इ एल) {पहले वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि0} (वी इ इ एल)
- iv) वोडाफोन साऊथ लि0 (वी एस एल) {पहले वोडाफोन एस्सार साऊथ लि0} (वी इ एस एल)
- v) वोडाफोन डिजिलिंक लि0 (वी डी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार डिजिलिंक लि0} (वी इ डी एल)

- vi) वोडाफोन सेल्युलर लि0 (वी सी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लि0} (वी इ सी एल)
- vii) वोडाफोन वेस्ट लि0 (वी डब्ल्यू एल) {पहले वोडाफोन एस्सार गुजरात लि0} (वी इ जी एल)
- viii) वोडाफोन स्पेसटेल लि0 (वी एस पी एल) {पहले वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि0} (वी ई एस पी एल)

अन्तिम सात कम्पनियों पहली कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ हैं। अन्य वी आई एल के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, वोडाफोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 {पहले वोडाफोन एस्सार इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वी इ आइ एल)} कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत 19 जनवरी 2007 को निगमित की गई और 17 जून 2008 को आई पी-1 के रूप में डी ओ टी के द्वारा पंजीकृत हुई।

पहली सात लाइसेन्सी कम्पनियों (हस्तान्तरण कर्ता) की पैसीव अवसरचना (पी आई) परिसम्पतियों का हस्तांतरण वोडाफोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (हस्तान्तरित) को करने के लिये स्कीम आफ अरेंजमेंट (एस ओ ए) विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया और तदनुसार पी आई परिसम्पतियाँ बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित हो गई। इन पी आई परिसम्पतियों की लेखांकित मूल्य को, हस्तांतरण कर्ता कम्पनियों की लेखा पुस्तकों में समायोजन के लिये व्यय के रूप में लाभ/हानि लेखा में डेबिट कर दिया गया और इन परिसम्पतियों को हस्तांतरित कम्पनी की लेखा पुस्तकों में शून्य कीमत पर दर्शाया गया। हस्तांतरित पी आई परिसम्पतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 3.4

हस्तांतरण करने वाली कम्पनी का नाम	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की तिथि	वर्ष जिसमें हस्तांतरित कम्पनी की लेखा पुस्तकों में हस्तांतरित की गई	हस्तांतरित पी आई परिसम्पतियों की लेखांकित मूल्य (₹ करोड़ में)
वोडाफोन पूर्व लिमिटेड	28 अक्टूबर 2009	2010-11	92.38
वोडाफोन सेलुलर लिमिटेड	17 नवम्बर 2009	2010-11	619.53
वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	17 दिसम्बर 2009	2010-11	97.80
वोडाफोन मोबाईल सर्विस लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	168.82
वोडाफोन साउथ लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	1730.21
वोडाफोन डिजिलिंक लिमिटेड	29 मार्च 2011	2010-11	985.95
वोडाफोन वेस्ट लिमिटेड	27 अगस्त 2012	2011-12	292.11
		कुल	3986.80

इन परिसम्पतियों को अन्ततः इण्डस टावर लि0 (इंडस) को जो वोडाफोन, एअरटेल और आइडिया की ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी थी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 18 अप्रैल 2013 को अनुमोदित एस ओ ए के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इण्डस ने इन पी आई परिसम्पतियों को अपनी लेखा पुस्तकों में उचित कीमत पर रिकार्ड किया जिसका ब्यौरा लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं है।

वोडाफोन लाइसेन्सी कम्पनियों द्वारा बिना किसी मूल्य के इसकी सहायक कम्पनियों को पी आई परिसम्पतियों का हस्तांतरण जिसे अन्ततः उचित मूल्य पर एक ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी को हस्तांतरित किया गया (जिसका ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं था), एक दूर का लेनदेन नहीं था। यह वर्णन करना प्रासंगिक होगा कि इण्डस में अन्य भागीदार भारती ऐयरटेल लिमिटेड (बी ए एल) ने इसी प्रकार अपने पी आई परिसम्पतियों को जिनका लेखांकित मूल्य ₹ 5739.60 करोड़ था, अपनी सहायक कम्पनी

{भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी आइ एल)} को 2007-08 की अवधि में शून्य मूल्य पर हस्तांतरित किया था और बी आइ एल ने इन परिसम्पत्तियों को इनके उचित मूल्य ₹ 8235.97 करोड़ (इनके लेखांकित मूल्य से ₹ 1.434 गुणा अधिक) पर अपनी लेखा पुस्तकों में रिकार्ड किया था। शून्य मूल्य पर एअरटेल के पी आइ परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 में टिप्पणी की गई थी।

वोडाफोन द्वारा लेखांकित मूल्य ₹ 3986.80 करोड़ की पी आइ परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण उचित मूल्य के स्थान पर 'शून्य' मूल्य पर किये जाने के परिणामस्वरूप लाभ को छोड़ दिया गया जिसके कारण लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम युसेज प्रभार का भुगतान नहीं हुआ, जिसकी राशि को लेखापरीक्षा द्वारा परिमाणित नहीं किया जा सका।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर में कहा कि:

- यह स्कीम, जो कि सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित थी, वी आइ एल ग्रुप की पी आइ परिसम्पत्तियों को उसकी दूसरी सहायक वी इ आइ एल को 1.4.2009 को निर्धारित तिथि को हस्तांतरण करने के लिये प्राविधानित करनी थी।
- इस स्कीम का प्रयोजन वी आइ एल ग्रुप के अन्दर विभिन्न व्यापारिक आवश्यकतों को अधिक सुचारू ढंग से चलाने के लिये, पी आइ परिसम्पत्तियों के स्वामित्व की पुनः संरचना थी और इसमें वी आइ एल ग्रुप से बाहर किसी अन्य पार्टी के साथ परिसम्पत्तियों और दायित्वों का परिवर्तन शामिल नहीं था और इसलिये हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के किया गया।
- यद्यपि वी आइ एल ग्रुप ने परिसम्पत्तियों का मूल्य अपनी लेखा पुस्तकों से बट्टे-खाते में डाल दिया, उन्होने लाइसेंस फीस की गणना करते समय इस बट्टे-खाते के मद में कटौती का दावा नहीं किया।
- सकल राजस्व में केवल राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित है, पूँजी प्राप्तियाँ नहीं।
- इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बे समय तक लम्बित मुकदमेबाजी, भारत के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा दिया गया बयान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामले को देखते हुए, कम्पनी ए जी आर की गणना में परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ को शामिल न करने की कानूनी सलाह के अधीन है। यहाँ पर यह वर्णन अनावश्यक है कि उपरोक्त इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन है।

प्रबन्धन का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि वोडाफोन लाइसेंसी कम्पनियों का इसकी सहायक कम्पनियों को पी आइ परिसम्पत्तियों का बिना किसी मूल्य पर हस्तांतरण, जिसे बाद में एक ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी (इन्डस टावर्स लि0) को उचित मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया गया, एक दूरी का लेनदेन नहीं था। इन्डस टावर्स लि0 द्वारा लेखांकित मूल्य और लेखा में दर्ज मूल्य का अन्तर, परिसम्पत्ति के हस्तांतरण पर लाभ को छोड़ना था। परिसम्पत्ति हस्तांतरण पर छोड़ा गया लाभ, एल एफ और एस यू सी की गणना में शामिल किया जाना चाहिये।

3.2.11 राजस्व साझेदारी के कम भुगतान पर ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मामलों (पैरा 3.2.1 से 3.2.9) में एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 1345.41 करोड़ ₹ 807.54 करोड़ आगणित किया गया था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 1178.84 करोड़ था (अनुलग्नक-3.14)। ब्याज की गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित दर जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की वर्तमान प्राइम लेन्डिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक है, के आधार पर की गई है और गणना के लिए ली गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज मासिक चक्रवृद्धि आधार पर निकाला गया है।

3.3 राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (ए जी आर विवरणी) में खुलासा

यु ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खण्ड 20.7 में वर्णित है कि वार्षिक वित्तीय लेखा एवं राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (ए जी आर विवरणी) अनुलग्नक में निर्धारित मानक के अनुसार बनाई जायेगी। यु ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस समझौते का अनुलग्नक III वार्षिक वित्तीय विवरणियों को बनाने के लिये मानक के बारे में प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ए जी आर विवरणियों, वार्षिक वित्तीय विवरणियों और सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि इन सभी मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया। विशेषतः, यह प्रगट हुआ कि सेवाकर, बिक्रीकर, रियायत/छूट, वस्तुओं की बिक्री, इन्वेन्टरी, व्यय के विरुद्ध आय को घटाया जाना और बिल नहीं की गई संख्या के सम्बन्ध में मानको का पालन नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि वह अपने लेखाओं पर टिप्पड़ियाँ जो कि सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षित ए जी आर का भाग हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि लागू प्रगटीकरण मानकों से कुछ विचलन है जैसा कि राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी के अनुलग्नक-I के नोट संख्या-5 में दिखाया गया है, जो कि यु ए एस एल अनुबंध 842-1017/2008 ए एस-IV दिनांक 20.10.2008 के अनुलग्नक-III द्वारा अपेक्षित था। तथापि, इसका देय समायोजित सकल राजस्व और लाइसेंस फीस की गणना पर कोई प्रभाव नहीं है।

प्रतिवेदन में उल्लेख किये गये राजस्व को कम दिखाने के मामलों से इसकी पुष्टि होती है कि लाइसेंस फीस के भुगतान हेतु मान्य राजस्व, लाइसेन्स की शर्तों के अनुरूप नहीं था और न ही लेखाओं को पूर्ण रूप से डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार बनाया गया था। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- मानको के अनुसार राजस्व को सकल रूप में बिना किसी कटौती के दर्शाया जाना था। परन्तु जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेखित पैराग्राफ से देखा जा सकता है कि रियायतों/कमीशन/माफी, फ्री एअरटाइम इत्यादि को राजस्व से घटा दिया गया और डी ओ टी को प्रकट नहीं किया गया।
- पी एस पी द्वारा संविदा की शर्तों को पालन नहीं करने पर डी ओ टी से प्रतिक्रिया मांगा गया। डी ओ टी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डी ओ टी, सेवा प्रदाता से लाइसेन्स समझौते के अनुलग्नक-III के अर्न्तगत आवश्यक वार्षिक वित्तीय विवरणी की तैयारी सम्बन्धी मानकों के अनुपालन सम्बन्धी

निर्देशों को जारी करने और अनुपालन करवाने में उन वर्षों में असफल रहा, जो महत्वपूर्ण था। परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान कम्पनी ने जी आर/ए जी आर को कम दर्शाया और डी ओ टी इसका पता नहीं लगा सकी।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वोडाफोन ग्रुप का जी आर ₹ 198846 करोड़ था, कटौतियों का दावा ₹ 60943 करोड़ था और औसत कटौती का प्रतिशत जी आर का 31 प्रतिशत बनता है। यद्यपि वोडाफोन ग्रुप द्वारा दावा की गयी कटौतियाँ, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों (सी सी ए) द्वारा सत्यापन के अधीन थी, डी ओ टी स्तर पर कम्पनी द्वारा स्वयं घोषणा पर सकल राजस्व का मात्र 69 प्रतिशत पर ही आंकलन किया गया।

यह भी कि एल एफ विंग, लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III के अनुसार जानकारी जो आवश्यक रूप से टी एस पी द्वारा रखी जानी थी, प्राप्त करने में असफल रहा तथा इस जानकारी के अभाव में सत्यापन और आंकलन की प्रक्रिया अप्रभावी हुई।

इस प्रकार, सेवा प्रदाता की राजस्व साझेदारी का पूर्ण सत्यापन और आंकलन उनके जी आर के बजाय सेवा प्रदाता द्वारा दावा किये गये कटौतियों के सत्यापन पर ही केन्द्रित रहा।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर डी ओ टी/वी आई एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स वी आई एल द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अगस्त 2016 में डी ओ टी और वी आई एल को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रेषित कर दिया गया था। वी आई एल ने परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने उत्तर को एक बार फिर दोहराया (सितम्बर/नवम्बर 2016)। डी ओ टी का उत्तर पैराग्राफ 2.4 में उल्लेखित है।